



0581-2527263
0581-2527407
0581-2521467

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :- रू0वि0/प्रति./2013/ 2165

दिनांक:- 06.11.2013

आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में कतिपय शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों द्वारा धूम्रपान किया जाता है तथा जगह-जगह पर थूककर गन्दगी फैलाई जाती है, जो न केवल स्वस्थ्य के लिये अहितकर है अपितु सार्वजनिक स्थल धूम्रपान (निषेध) अधिनियम में अंकित प्रावधानों का भी उल्लंघन है।

अतः तदनुसार विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान (पान, गुटखा, पुड़िया, तम्बाकू, शराब आदि) पर तत्काल प्रभाव से पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाया जाता है। यदि कोई विश्वविद्यालय कर्मी अथवा जनता का व्यक्ति विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान करता पाया जाता है तो उससे ₹ 500.00 आर्थिक दण्ड वसूला जायेगा। पुनरावृत्ति करने पर ₹ 1,000.00 आर्थिक दण्ड वसूला जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि उसके सेवा अभिलेखों में भी कर दी जायेगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर
3. निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ
4. वित्त अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि इसे आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
5. समस्त कार्यालय, अधीक्षक
6. समस्त अनुभाग, अधिकारी
7. प्रभारी, इन्टरनेट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. समस्त दैनिक समाचार पत्र
9. प्रभारी सुरक्षा
10. मैसर्स, लॉयन सिक्योरिटी सर्विसेज, बरेली

कुलसचिव